रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-07072026-274232
CG-JH-E-07072026-274232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948
No. 515] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 573(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उप-नियम (5) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों का मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित किया गया है, एतद्वारा श्वास उपकरण प्रत्येक प्रवाह मीटर के परीक्षण तथा श्वास उपकरण में उपयोग किए जाने वाले आक्सीजन की शुद्धता के परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता हूँ:

दायरा: ये मानक बचाव केंद्रों और बचाव कक्षों में उपलब्ध कराए गए श्वास एवं पुनर्जीवन उपकरणों प्रत्येक प्रवाह मीटर के परीक्षण की प्रक्रिया और श्वास उपकरणों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता को निर्दिष्ट करते हैं, जैसा कि उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 131 के उपनियम (5) के तहत आवश्यक है।

प्रयोज्यता: ये मानक बचाव केंद्रों और बचाव कक्षों में उपलब्ध कराए गए श्वास एवं पुनर्जीवन उपकरणों के परीक्षण और श्वास उपकरणों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की शुद्धता के परीक्षण पर लागू होंगे।

अनुपालन आवश्यकता:

श्वास एवं पुनर्जीवन यंत्रों के परीक्षण और उनमें प्रयुक्त ऑक्सीजन की शुद्धता की प्रक्रिया

1. प्रत्येक श्वास एवं पुनर्जीवन यंत्र का परीक्षण कम से कम महीने में एक बार या निर्माता द्वारा अनुशंसित कम अंतराल पर, पैरा 2 में निर्दिष्ट तरीके से किया जाना चाहिए।

2. (i) उपकरण की सामान्य स्थिति की जाँच की जाएगी और इसके प्रत्येक नाजुक और नाशवान भाग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ii) उपकरण में रिसाव की जाँच की जाएगी और अवलोकन दर्ज किए जाएंगे। यदि निर्माता द्वारा अनुशंसित अनुमेय सीमा से अधिक रिसाव पाया जाता है, तो उपकरण उपयोग के लिए असुरक्षित माना जाएगा।

(iii) सिलेंडर में ऑक्सीजन का दबाव मापा जाएगा और दर्ज किया जाएगा।

(iv) किसी भी स्वचालित रिलीफ वाल्व द्वारा छोड़े गए दबाव को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या इसके नवीनतम संस्करण में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

(v) निर्माता द्वारा निर्दिष्ट परीक्षक द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति दर को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या इसके नवीनतम संस्करण में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होना चाहिए। ऐसे माप और समायोजन इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पृष्ठ पुस्तिका में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किए जाएंगे।

(vi) यदि किसी उपकरण में स्वचालित मांग वाल्व लगा है, तो उस पर संचालित दबाव को मापा जाएगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस 10245 (भाग-1) या उसके नवीनतम संस्करण में निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगा। ऐसे माप और समायोजन को इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पुस्तक में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा।

(vii) निर्माताओं द्वारा अनुशंसित अन्य परीक्षण और समायोजन, यदि कोई हो, किए जाएंगे और उनका रिकॉर्ड इस उद्देश्य के लिए रखी गई बंधी हुई पुस्तक में या संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा।

3. श्वास यंत्रों में उपयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन की शुद्धता की जाँच की जाएगी। एक प्रतिशत से अधिक अशुद्धियाँ पाई जाने वाली ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. उपकरण परीक्षकों की सटीकता की जाँच उपकरण निर्माताओं द्वारा अनुशंसित अवधियों पर की जाएगी।

5. यदि इस मानक के अनुसार कोई विवरण दर्ज करना आवश्यक है, तो उसे तुरंत इस उद्देश्य के लिए रखी गई एक पृष्ठबद्ध पुस्तिका में या बचाव कक्ष या बचाव केंद्रों पर, जैसा भी मामला हो, संपादन-रहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाएगा, और परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या ई-हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा तथा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या ई-हस्ताक्षरित किया जाएगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/01-3/2026/सोमा (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 1st July, 2026

G.S.R. 573(E).— In exercise of the powers conferred on me under sub-rule (5) of rule 131 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the procedure for testing of breathing apparatus, flow meter and purity of oxygen for use in breathing apparatus, as follows:

Scope: These standards specify the procedure of testing of breathing and resuscitating apparatus, flow meters provided in rescue stations and rescue rooms, and purity of oxygen for use in breathing apparatus, as required under sub rule (5) of rule 131 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable for testing of breathing and resuscitating apparatus provided in rescue stations and rescue rooms, and purity of oxygen for use in breathing apparatus.

Compliance Requirement:

Procedure for testing of breathing and resuscitating apparatus and purity of oxygen for use in breathing apparatus

1. Every Breathing and Resuscitating apparatus shall be thoroughly tested once at least in every month or at such shorter interval as may be recommended by the manufacturers of the breathing apparatus in a manner specified in para 2

2. (i) The apparatus shall be examined in respect of its general condition and particular attention shall be given to every delicate and perishable part.

   (ii) The apparatus shall be tested for leakage and observations recorded. If any leakage is observed beyond the permissible limit recommended by the manufacturer, the apparatus shall be deemed unsafe for use.

   (iii) The pressure of oxygen in the cylinder shall be measured and recorded.

   (iv) The pressure at which any automatic relief valve discharges shall be measured which shall be within the limits specified in IS 10245 (Part-1) or its latest version of the Bureau of Indian Standards.

   (v) The rate of delivery of oxygen shall be measured by the tester specified by the manufacturers which shall be within the limits specified in IS 10245 (Part-1) or its latest version of the Bureau of Indian Standards. Such measurements and adjustments shall be recorded in bound paged book kept for the purpose or in non-editable electronic form.

   (vi) If an apparatus has been provided with an automatic demand valve, the pressure at which it operates shall be measured which shall be within the limits specified in IS 10245 (Part-1) or its latest version of the Bureau of Indian Standards. Such measurements and adjustments shall be recorded in bound paged book kept for the purpose or in non-editable electronic form.

   (vii) Other tests and adjustment, if any, as recommended by the manufacturers shall be performed and a record thereof in a bound paged book kept for the purpose or in non-editable electronic form.

3. The purity of oxygen supplied for use in breathing apparatus shall be tested. No oxygen which is found to contain more than one per cent of impurities shall be used.

4. Apparatus Testers shall be tested for accuracy at durations recommended by the apparatus manufacturers.

5. Where by this standard any particulars are required to be recorded, they shall be recorded forthwith in a bound paged book kept for the purpose or in non-editable electronic form at rescue room or rescue stations, as the case may be, and shall be signed or e-signed and dated by the person making the tests and shall be countersigned or e-signed by the Superintendent.

[F. No. DGMS/01-3/2026/SOMA(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.